भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 316

दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से संबंधित शिकायतें

316. श्री नीरज डांगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के तहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में दुरुपयोग, अनियमिताएं, गुणवत्ता की कमी और भ्रष्टाचार के मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई स्पष्ट नीति या दिशानिर्देश उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दर्ज शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अनियमितताओं से संबंधित ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना में कमियों के मुख्य कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी, कम वेतन और खराब/ अपर्याप्त प्रशिक्षण हैं, यदि हां, तो उक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 [जिसे पहले एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के रूप में जाना जाता था] 1975 में शुरू किया गया था। अब इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (जिसे आगे मिशन पोषण 2.0 कहा जाएगा) का नया रूप दिया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। इस योजना का उद्देश्य उचित पोषण सामग्री और उसके वितरण के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण की चुनौती को हल करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को पोषित करने वाली पद्धतियां विकसित करने के लिए परिस्थितियां और एक अभिसारी व्यवस्था तंत्र निर्मित करना है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर प्रणाली के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव द्वारा मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है।

मंत्रालय ने गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाने के लिए 13.01.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पोषण ट्रैकर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

i. पोषण ट्रैकर में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।
ii. पोषण ट्रैकर में पंजीकरण के बाद सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से उन सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है, जिनका लाभ वे आंगनवाड़ी मंच के माध्यम से उठा सकते हैं, जिससे नागरिकों का स्वामित्व बनता है।
iii. इसके अलावा, टीएचआर की प्रदायगी पर, लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोषण हेल्पलाइन विवरण के साथ एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। यदि लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिलता है, तो वह पोषण हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकता है।
iv. पोषण ट्रैकर में ग्रोथ मॉनिटरिंग के भौतिक रिकॉर्ड को स्वत: जनित मासिक रिपोर्ट द्वारा बदल दिया गया है। इन रिपोर्टों को डाउनलोड किया जा सकता है और पर्यवेक्षकों द्वारा समीक्षा बैठक में प्रयोग किया जा सकता है।
v. संगत विषयों पर आईईसी सामग्री पोषण ट्रैकर पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे भारी आईईसी सामग्री ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
vi. सभी गृह दौरे अब पोषण ट्रैकर में स्वचालित रूप से निर्धारित होते हैं, जिसके लिए उन्हें अनुस्मारक भी मिलते हैं। पूर्ण और लंबित गृह दौरे की रिपोर्ट पोषण ट्रैकर में उपलब्ध है।
vii. "पोषण ट्रैकर" के साथ, कुपोषण संकेतकों पर रीयल टाइम डेटा हर महीने उपलब्ध है। एनएफएचएस (लगभग 6.1 लाख घरों का नमूना आकार) की तुलना में, पोषण ट्रैकर लगातार प्रति माह लगभग 7-8 करोड़ बच्चों को मापता है, जिससे लाभार्थियों की रीयल टाइम पोषण स्थिति का पता चलता है।
viii. पोषण ट्रैकर में विकास की निगरानी, गृह दौरे और आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए पात्रता की स्वचालित गणना का प्रावधान है।
ix. फैक्ट शीट के रूप में पोषण ट्रैकर में एक नई रिपोर्ट जोड़ी गई है।
x. पोषण ट्रैकर विभिन्न रिपोर्ट जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, आंगनवाड़ी केंद्र खोलने, प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिति, आंगनवाड़ी केंद्र में अवसंरचना का विवरण आदि तैयार करता है। ये रिपोर्ट पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ और डीपीओ सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक पर्यवेक्षण में सुधार हुआ।

दिशा-निर्देशों के तहत, लाभार्थियों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में नामित किया गया है। हर महीने प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रमाणित पोषण विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला पोषण समिति गठित की गई है।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार मानदंडों के संदर्भ में पूरक पोषण, घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) और पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली/पंजीकृत/पैनल में शामिल/एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से समय-समय पर नमूनों की यादृच्छिक जांच करते हैं। पके हुए गर्म भोजन के मामले में सुनिश्चित किया जाता है कि इसे उचित रसोई शेड में तैयार किया जाए, जिसमें पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल हो ताकि स्वच्छता की स्थिति बनी रहे। भोजन पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टोव का प्रयोग किया जाए।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बना दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही उन्हें वास्तविक समय में कार्यान्वयन और निगरानी करने में सक्षम बनाया गया है।

एडब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह, एडब्ल्यूडब्ल्यू, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में, मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, एडब्ल्यूएच को 250/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूडब्ल्यू को 500/- रुपये का निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अलग-अलग अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय दे रहे हैं। इसके अलावा, इन कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा लाभ, वर्दी आदि के लिए विभिन्न कदम/पहल की जाती है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पोषण पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय ने 10 मई, 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) कार्यक्रम शुरू किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्षमता निर्माण की परिकल्पना आंगनवाड़ी को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल/खेल के लिए उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों

वाले एक शिक्षण केंद्र में बदलने की दिशा में पहला कदम है। इस कार्यक्रम के तहत, देश भर में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 3-दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईसीसीई पर मंत्रालय द्वारा गठित कार्य बल की सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया जाता है।

****